उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-119/3148/पांच-8-2015-म(17)/2015

लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में अनारक्षित अग्रेनीत पदों पर चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या- /59/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 26-05-2015 में 11 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार कुल 11 चिकित्साधिकारियों को मौलिक एवं अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमश:

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी **दिनांक 02-09-2015** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

क्रमशः

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

<u>संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।</u>

अरविन्द नारायण मिश्र
सचिव।

<u>संख्या-119/3148(1)/पांच-8-2015-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या- /58/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 25-03-2015 के सन्दर्भ में।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

क्रमशः

http://khabarsanadesh.in

4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- प्रभारी,कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://uprhealth.up.nic.in

<u>कार्यालय ज्ञाप संख्या-119/3148/पांच-8-2015-म(17)/2015, दिनांक 06-08-2015 की तैनाती सूची का संलग्नक-</u>

क्र. सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/ पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01	51530111409	डा0 इन्द्रसेन गौतम/ पुत्र श्री जवाहर लाल/ ग्राम-अखौवा, पो0- चिरैया पटटी, जिला- प्रतापगढ़	एस0सी0	प्रतापगढ़	एम0बी0बी0एस0 /एम0डी0 जनरल मेडिसिन	जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर
2.	02	51530250559	डा0 प्रियान्जल गौतम/ पुत्र श्री राम पाल सिंह/ बी-1/11, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010	एस0सी0	मुरादाबाद	एम0बी0बी0एस0 /एम0एस0 ई0एन0टी0	बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ
3.	03	51530063369	डा0 अमित कुमार वर्मा/पुत्र श्री छदामी लाल वर्मा/414/ए, वीरेन्द्र टेंट हाउस के पास, खुशीपुरा, झांसी	एस0सी0	उरई जालौन	एम0बी0बी0एस0	झांसी
4.	04	51530173019	डा0 बृजेन्द्र कुमार चौधरी/पुत्र श्री राम प्रसाद चौधरी/108, मो0-करनपुर खास, प्रतापगढ़	एस0सी0	प्रतापगढ़	एम0बी0बी0एस0	जौनपुर
5.	05	51530311717	डा0 मनीष कुमार/पुत्र श्री सत्ती लाल/24बी/ ए-3, हेस्टिंग रोड, नेवादा, इलाहाबाद-211001	एस0सी0	इलाहाबाद	एम0बी0बी0एस0	रायबरेली
6.	06	51530108681	डा0 श्याम सुन्दर कन्नौजिया/पुत्र श्री ओंकार नाथ कन्नौजिया/मो0-उत्तरी जटेपुर हड़तवा फाटक, पो0-गोरखनाथ, जिला- गोरखपुर-273015	एस0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	कुशीनगर
7.	07	51530207821	डा0 नेहा आजाद/पुत्री श्री धर्म देव राम/एस-17/128-बी-23, गणपति नगर कालोनी पहड़िया, वाराणसी-221007	एस0सी0	वाराणसी	एम0बी0बी0एस0	गाजीपुर
8.	08	51530175169	डा0 सरिता सिंह/पत्नी डा0 राजेन्द्र/जी-455अल्फा-11,ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर	एस0सी0	जौनपुर	एम0बी0बी0एस0	बुलन्दशहर
9.	09	51530154103	डा0 राकेश कुमार/पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद/शकुन्ती मेडिकल सेन्टर, नियर टेलीफोन एक्सचेंज, राजधानी मार्ग, शुक्लागंज, उन्नाव-209801	एस0सी0	उन्नाव	एम0बी0बी0एस0 / डी0ए0	जिला चिकित्सालय, सीतापुर
10.	10	51530054344	डा0 अरविन्द कुमार गौतम/पुत्र श्री लालजी प्रसाद/ग्राम-नदवासराय, पो0-नदवासराय, जिला- मऊ-275302	एस0सी0	मऊ	एम0बी0बी0एस0	आजमगढ़
11.	11	51530214043	डा0 अनुभव भूषण/पुत्र श्री शशि भूषण/म0नं0-268बी, दक्षिणी बेतियाहाता शिवपुरी कालोनी, रूस्तमपुर, गोरखपुर-273016	एस0सी0	आजमगढ़	एम0बी0बी0एस0	गोरखपुर

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।